रिविजनल सिविल

प्रेम चंद पंडित न्यायमूर्ति और गोपाल सिंह न्यायमूर्ति के समक्ष

मैसर्स निरुला ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, याचिकाकर्ता

बनाम

कृष्ण कुमार खुराना – उत्तरदाता

1970 का सिविल संशोधन संख्या 806

30 अगस्त, 1971

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का अधिनियम संख्या V) - धारा 20, स्पष्टीकरण II - वादी, एक सीमित कंपनी का कर्मचारी - एक स्थान पर स्थित कंपनी का अधीनस्थ कार्यालय, जहां वह काम करता है और वेतन प्राप्त करता है - वेतन की बकाया राशि की वसूली के लिए मुकदमा - क्या ऐसे स्थान पर विचार योग्य है।

यह माना गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 के साथ संलग्न स्पष्टीकरण II के दूसरे भाग के तहत, भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी के खिलाफ दायर मुकदमा सिविल कोर्ट में उस स्थान पर अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए सुनवाई योग्य होगा जहां कंपनी का अधीनस्थ कार्यालय स्थित है और जहां कंपनी के खिलाफ वादी के लिए कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है। जब एक वादी, एक सीमित कंपनी का कर्मचारी एक ऐसे स्थान पर काम करता है जहां कंपनी का अधीनस्थ कार्यालय स्थित है और

वहां अपना वेतन प्राप्त करने का हकदार है, तो वेतन की बकाया राशि की वसूली के लिए उसका मुकदमा उस स्थान के सिविल न्यायालय में सुनवाई योग्य है। **(पैरा 7.)**

माननीय न्यायमूर्ति प्रेम चंद पंडित द्वारा 20 मई, 1971 *को कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए एक बड़ी पीठ को मामला भेजा गया। माननीय न्यायमूर्ति प्रेम चंद पंडित और माननीय न्यायमूर्ति गोपाल सिंह की खंडपीठ ने अंततः* 30 अगस्त, 1971 को मामले का फैसला किया।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 *के तहत याचिका में गुड़गांव के* उप न्यायाधीश की अदालत के 31 मार्च*, 1970 के आदेश में संशोधन करने का आदेश दिया गया है, जिसमें आदेश दिया गया है कि 4* मई*, 1970 को* वादी के साक्ष्य के *लिए मामला एक सप्ताह के भीतर पीएफ और डीएम* के पास आए*।*

याचिकाकर्ता की ओर *से वकील केएल सचदेवा।*

प्रतिवादी की ओर से वकील एच. एल. सरीन, के. टी. एस. तुलसी, अमृत लाल बहल, एम. एल. सरीन, अधिवक्ता*।*

निर्णय

गोपाल सिंह, न्यायमूर्ति (1) खंडपीठ का यह संदर्भ मेसर्स नरूला ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रतिवादी द्वारा 31 मार्च, 1970 को गुड़गांव के उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, गुड़गांव के आदेश से वादी केके खुराना के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका में उत्पन्न हुआ है, जिसमें कहा गया है कि न्यायालय के पास प्रतिवादी के खिलाफ उसके बकाया वेतन के कारण दावा किए गए 3,295.50 रुपये की वसूली के लिए वादी द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार है।

(2) प्रतिवादी भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सीमित कंपनी है। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। यह गुड़गांव में एक कारखाना चलाता है। वादी को प्रतिवादी ने 25 अक्टूबर, 1966 को गुड़गांव में कारखाने के प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। उन्होंने 18 सितंबर, 1968 को इस्तीफा दे दिया। याचिकाकर्ता ने 29 जुलाई, 1969 को गुड़गांव में मुकदमा दायर किया था। वाद के पैरा 7 में, वादी ने कहा कि वादी को उन तारीखों पर वेतन की वसूली के लिए कार्रवाई का कारण उठा, जब वादी को इसका भुगतान किया जाना था, कि वादी को गुड़गांव में नियुक्त किया गया था और उसने वहां लाभ के लिए काम किया था और परिणामस्वरूप गुड़गांव की अदालत के पास मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था। प्रतिवादी की ओर से दायर लिखित बयान में, एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी कि प्रतिवादी भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत निगमित एक सीमित कंपनी थी और वादी को नई दिल्ली में नियुक्त किया गया था, न कि गुड़गांव में। इसमें कहा गया है कि वह नई दिल्ली स्थित कार्यालय से वेतन प्राप्त करते थे और इसलिए गुड़गांव की अदालत के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

(3) वादी की ओर से दायर प्रतिकृति में, प्रतिवादी के जवाब को अस्वीकार कर दिया गया था कि वादी को नई दिल्ली में नियुक्त किया गया था और यह दावा किया गया था कि वादी को गुड़गांव में नियुक्त किया गया था और वह गुड़गांव में अपना वेतन प्राप्त करने का हकदार था और वहां इसे प्राप्त कर रहा था।

(4) पक्षकारों की दलीलों पर तैयार किए गए मुद्दों में से एक यह था कि क्या गुड़गांव की अदालत के पास मुकदमे की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस मुद्दे को अदालत द्वारा प्रारंभिक मुद्दे के रूप में आजमाया गया था।

दोनों पक्षों ने सबूत पेश किए। प्रतिवादी कंपनी की ओर से जितेंद्र मेहता डीडब्ल्यू 1 पेश हुए। वह कंपनी के प्रबंधक हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिवादी-कंपनी का कारखाना गुड़गांव में स्थित है, जहां वादी को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने की तारीख से लेकर उसके इस्तीफा देने की तारीख तक उसने काम किया। गुड़गांव प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। उन्होंने कहा कि वादी को वेतन के लिए रसीद जारी की जाती थी। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से वादी को कभी कोई वेतन नहीं दिया। इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि गुड़गांव में स्थित कारखाना भारतीय कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत था और कारखाने से संबंधित सभी श्रम विवादों को गुड़गांव में सुलह अधिकारी को भेजा गया था और सभी औद्योगिक और श्रम रिटर्न गुड़गांव में कारखाने के कार्यालय से प्रस्तुत किए गए थे। वादी खुद पी.डब्ल्यू.1 के रूप में गवाह के कठघरे में गया। उन्होंने कहा कि वह गुड़गांव में अपने प्रशासनिक अधिकारी की क्षमता में कारखाने के प्रभारी थे कि उनकी नियुक्ति की तारीख से वहां काम करते समय, उन्हें गुड़गांव में उनके वेतन का भुगतान किया गया था और वह गुड़गांव में उनके द्वारा प्राप्त वेतन के लिए प्रतिवादी-कंपनी को रसीदें जारी करते थे। जिरह के दौरान उन्होंने इस सुझाव का जोरदार खंडन किया कि वह अपना वेतन लेने के लिए दिल्ली जाते थे। यह प्रतिवादी-कंपनी है, जो विभिन्न दस्तावेजों की हिरासत में थी, जो उस स्थान की ओर इशारा करते थे जहां वादी अपना वेतन प्राप्त कर रहा था। उन्होंने अदालत से उन दस्तावेजों को रोक दिया है। इस प्रारंभिक मुद्दे का भार प्रतिवादी पर यह दिखाने के लिए था कि गुड़गांव की अदालत के पास मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और इसलिए, प्रतिवादी को यह स्थापित करना था कि वेतन गुड़गांव में वादी द्वारा प्राप्त और भुगतान नहीं किया जा रहा था, बल्कि नई दिल्ली में। प्रतिवादी कंपनी की ओर से कहा गया है कि वादी को

वेतन का भुगतान नई दिल्ली स्थित उनके प्रधान कार्यालय में चेक द्वारा किया जा रहा था। ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया है। प्रतिवादी-कंपनी द्वारा इस मुद्दे से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य को रोक दिया गया है, जितेंदर मेहता के मौखिक दावे को कोई महत्व नहीं दिया जा सकता है कि नई दिल्ली में वादी को वेतन का भुगतान किया जा रहा था। यह प्रतिवादी-कंपनी का मामला है कि वादी ने अपनी नियुक्ति की तारीख से इस्तीफे की तारीख तक गुड़गांव में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम किया। प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते, वह गुड़गांव में प्रतिवादी-कंपनी द्वारा स्थापित कारखाने से संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक कार्य के प्रभारी थे। इसके विपरीत किसी भी अनुबंध की अनुपस्थिति में और प्रतिवादी-कंपनी की ओर से फाइल पर कोई भी साबित नहीं हुआ है, वेतन वादी को उस स्थान पर देय होगा, जहां उसने प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपना काम किया था। वादी द्वारा यह भी कहा गया है कि उसे गुड़गांव में एक घर आवंटित किया गया था और वह उस घर में रहता था और उस घर का किराया प्रतिवादी-कंपनी द्वारा भुगतान किया जा रहा था।

(5) प्रतिवादी-कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा 22 दिसंबर, 1966 को मुख्य कारखाना निरीक्षक, हरियाणा राज्य, चंडीगढ़, प्रदर्शनी पृष्ठ 2 को संबोधित पत्र के अनुसार, बाद में सूचित किया गया था कि वादी विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधानों के उद्देश्य से 1 जनवरी, 1967 से फैक्ट्री मैनेजर के रूप में काम करेगा। यह गुड़गांव में प्रतिवादी-कंपनी द्वारा चलाए जा रहे कारखाने के संदर्भ में है, जिसके लिए वादी को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। इस पत्र से यह भी पता चलता है कि वादी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त प्रमुख अधिकारी था और इस पत्र में फैक्ट्री मैनेजर के रूप में वर्णित था और प्रशासनिक रूप से कारखाने से संबंधित मामलों का प्रभारी था। इस पत्र से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि वादी गुड़गांव में कारखाने का प्रशासनिक

कार्यालय चला रहा था।

(6) उपरोक्त साक्ष्य इस निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं कि प्रतिवादी-कंपनी गुड़गांव में एक कार्यालय चला रही थी और वादी को उस कंपनी के प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। वह कार्यालय स्पष्ट रूप से प्रधान कार्यालय के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होने के कारण नई दिल्ली में स्थित कंपनी के प्रधान कार्यालय के अधीनस्थ कार्यालय के अलावा कुछ भी नहीं था। जितेंद्र मेहता के साक्ष्य के संचयी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, डीडब्ल्यू 3 ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी-कंपनी का गुड़गांव में अपना अधीनस्थ कार्यालय था। ट्रायल कोर्ट द्वारा लिए गए उस दृष्टिकोण की शुद्धता को अपील के आधार पर किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी गई है। इस प्रकार, प्रतिवादी-कंपनी ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष को सही माना है कि उसका गुड़गांव में एक अधीनस्थ कार्यालय था।

(7) उपर्युक्त चर्चा से, निम्नलिखित दो तथ्य इस प्रकार हैं: –

1. प्रतिवादी-कंपनी का गुड़गांव में अपना अधीनस्थ कार्यालय था।
2. वादी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उस कार्यालय का प्रभारी था और उसे वहां अपने वेतन का भुगतान किया जाना था।

निर्णय के लिए प्रश्न यह उठता है कि क्या सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 में संलग्न स्पष्टीकरण II के आधार पर, गुड़गांव में मुकदमा दायर करने के लिए वादी के समक्ष कार्रवाई का कारण उत्पन्न नहीं हो सकता है, जबकि तथ्य के इन निष्कर्षों के आधार पर यह पाया गया है कि प्रतिवादी-कंपनी का अधीनस्थ कार्यालय गुड़गांव में स्थित है और वादी वहां वेतन के भुगतान का हकदार है। स्पष्टीकरण II के साथ धारा 20 का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है: –

"उपरोक्त सीमाओं के अधीन, प्रत्येक मुकदमा एक अदालत में स्थापित

किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर-

a) प्रतिवादी, या प्रतिवादियों में से प्रत्येक जहां मुकदमा शुरू होने के समय एक से अधिक हैं, वास्तव में और स्वेच्छा से रहते हैं, या व्यवसाय करते हैं, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करते हैं; नहीं तो

b) .....

c) कार्रवाई का कारण, पूरी तरह से या आंशिक रूप से, उत्पन्न होता है।

स्पष्टिकरण I..... ,

*स्पष्टिकरण*II.—एक निगम को भारत में अपने एकमात्र या प्रधान कार्यालय में या किसी ऐसे स्थान पर उत्पन्न होने वाली कार्रवाई के किसी कारण के संबंध में व्यवसाय करने के लिए माना जाएगा, जहां उसका अधीनस्थ कार्यालय भी है।

स्पष्टीकरण II के दूसरे भाग के तहत, प्रतिवादी-कंपनी के खिलाफ दायर मुकदमा उस स्थान पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए सिविल कोर्ट में सुनवाई योग्य होगा, जहां प्रतिवादी-कंपनी का अधीनस्थ कार्यालय स्थित है और जहां उस कंपनी के खिलाफ वादी के लिए कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है। हमने पाया है कि कंपनी का अधीनस्थ कार्यालय गुड़गांव में स्थित है और प्रतिवादी कंपनी द्वारा वादी को वेतन का भुगतान करने में विफलता के परिणामस्वरूप गुड़गांव में वादी के खिलाफ कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ। इस प्रकार, प्रतिवादी-कंपनी के खिलाफ मुकदमे की विचारणीयता से संबंधित दोनों शर्तों को पूरा करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 के स्पष्टीकरण II के दूसरे भाग में संदर्भित किया गया है, गुड़गांव में सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है।

(8) पूर्वगामी कारणों से, हम पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हैं और ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हैं। हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। दोनों पक्षों के वकीलों ने कहा है कि दोनों पक्ष 5 अक्टूबर, 1971 को निचली अदालत में पेश होंगे।

न्यायाधीश पंडित- मैं सहमत हूँ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

वनित कौर सोखी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल , हरियाणा